

फोन : कार्यालय - 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 1139/सम्बद्धता/2006

दिनांक : 28/जून/2006

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय,

जंगल धूषण पादरी बाजार,

गोरखपुर।

विषय : प्राचार्य चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर डा० प्रदीप कुमार राव को प्राचार्य पद पर चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :-

1. महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त प्राचार्य को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय ।

भवदीय,

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति ।

2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति ।

कुलसचिव

26-6-06



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी००३०३०००वि०वि०/सम्बद्धता/2015/1280

दिनांक 28/9/2015

सेवा में,

प्राचार्य

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 27.08.2015 एवं 04.09.2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	कु० अञ्जली	श्री राम आधार	17.05.1989	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
2	श्रीमती शिप्रा सिंह	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह	07.01.1983	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
3	कु० हिमानी सिंह	श्री विजय शंकर सिंह	11.08.1988	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
4	डा० अनुभा श्रीवास्तव	श्री भगवान शरण लाल श्रीवास्तव	01.07.1978	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
5	पूजा पाण्डेय	श्री वीरेन्द्र प्रसाद दूबे	15.07.1983	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
6	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	श्री सुभाष गुप्ता	12.04.1990	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
7	श्री देव चन्द प्रजा	श्री लक्ष्मी सिंह	10.07.1990	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
8	ममता शर्मा	श्री चन्द्र मोहन शर्मा	13.10.1983	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
9	पुष्पा निषाद	श्री राम समुझ निषाद	05.01.1988	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
10	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्री राम कुंवर सिंह	30.04.1980	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
11	प्रतिभा मणि त्रिपाठी	श्री कृष्ण कुमार मणि त्रिपाठी	24.04.1984	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
12	श्री सर्वेश शंकर त्रिपाठी	श्री गजानन्द त्रिपाठी	10.07.1986	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
13	श्री मृत्यन्जय कुमार सिंह	श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह	01.07.1980	प्रवक्ता, बी०एड०, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षाएँ
14	श्रीमती कंचन सिंह	श्री रंजीत सिंह	10.04.1985	प्रवक्ता, बी०एड०, ललित कलाएँ
15	दीप्ति गुप्ता	श्री ईश्वर देव	01.07.1992	प्रवक्ता, बी०एड०, निष्पादन कलाएँ

नोट:

- चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू०जी०सी से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ताओं का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्त—

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 968/70-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउंटपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

अधीक्षक (सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363
आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/2404

दिनांक 20.04.2017

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण,
गोरखपुर।

विषय- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 05.04.2017 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	श्रीमती विमा सिंह	श्री राधे श्याम सिंह	19-12-1983	प्रवक्ता, बी०ए०
2	सुश्री श्वेता चौबे	श्री भैरव नाथ चौबे	01-07-1990	प्रवक्ता, बी०ए०
3	श्री सत्य प्रकाश सिंह	श्री लक्ष्मीकान्त सिंह	02-03-1978	प्रवक्ता, बी०ए०
4	श्रीमती साधना सिंह	श्री लाल बचन सिंह	10-05-1988	प्रवक्ता, बी०ए०
5	श्री नवनीत कुमार सिंह	श्री इन्द्र प्रकाश सिंह	03-01-1990	प्रवक्ता, बी०ए०
6	श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापति	श्री बालिस्टर प्रजापति	12-08-1981	प्रवक्ता, बी०ए०
7	श्री नन्दन शर्मा	श्री सत्यदेव प्रसाद शर्मा	01-06-1979	प्रवक्ता, एम०काम०
8	श्री सुभाष कुमार गुप्ता	श्री राम औरतार गुप्ता	15-07-1982	प्रवक्ता, एम०काम०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- क्रम संख्या 2, 7 एवं 8 पर चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाणपत्रों की यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- श्री कृष्ण कुमार, चयनित प्रवक्ता एम०काम० का चयन अनुमोदन सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, मोहरीपुर, गोरखपुर में होने के कारण संदर्भित महाविद्यालय में अनुमोदन नहीं किया गया है।
- उपरोक्त चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन इस शर्त के अधीन किया गया है कि चयनित प्रवक्ता इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों अथवा अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुमोदित/कार्यरत नहीं होने के सम्बन्ध में प्रवक्ताओं का शपथपत्र प्रस्तुत करने के अधीन अनुमोदन मान्य होगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)